BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1003/2024

IN THE MATTER OF:

SHRI ASHOK KUMAR & ANR. …………APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.04.2025 PASSED BY THE HON’BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE COMPLIANCE REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 22.07.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1003/2024

IN THE MATTER OF:

SHRI ASHOK KUMAR & ANR. ....APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ....RESPONDENT(s)

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.04.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Deepak Meena, aged about 39 years, S/o Shri R. C. Meena, posted as District Magistrate, Ghaziabad do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the present matter, the applicants have alleged that M/s New Panthar Security Guard Service (herein referred to as the "Project Proponent") has got a mining permit/lease for sand mining at Yamuna riverbed i.e. Gata No. 303 mi, 313 mi, 290 mi, 301mi, 303mi, 304 mi, 314 mi, 297 mi, 298 mi, 302 mi, 311 mi, 312 mi, 313 mi & 314 mi situated at Khand No. 02, Village-Panchayat, Tehsil-Loni, Ghaziabad, UP.

4. That the above captioned matter was last listed for hearing on 30.04.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

   "21. However, the District Magistrate, Ghaziabad is directed to ensure compliance with SSMG, 2016 and EMGSM, 2020 in the District particularly regarding uploading of the information about mining in the District on the website of the District Administration and also taking of measures for prevention of illegal mining including surprise visits by the District Level Tasks Force and ensure that no illegal mining or mining in violation of environmental norms is carried out in the mining lease sites and also adjoining area."

NOTARY P. K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No.-3062 GOVT. OF INDIA

5. That a latest compliance report has been prepared by the District Administration in compliance of the aforementioned directions of the Hon'ble Tribunal.

A Copy of the compliance report has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

II. COMPLIANCE REGARDING UPLOADING OF INFORMATION ON THE OFFICIAL WEBSITE

6. That in compliance with the above direction, a letter bearing No. 489/Min. Dept-Ghaz./2025-26 dated 29.05.2025 was written by the Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad to the District Informatics Officer, requesting the uploading of information about mining leases approved and operational in District Ghaziabad on the official website.

7. That pursuant to the said letter, the relevant information has been duly uploaded on the district administration's official website. Furthermore, a copy of the District Survey Report – 2024 has also been uploaded on the said website and will remain available for public access for a period of five years.

The copy of the aforementioned letter dt.29.05.2025 is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–1, and a printout of the relevant page

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No.-3062 GOVT. OF INDIA

from the district website showing the uploaded data is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–2.

III. COMPLIANCE REGARDING SURPRISE VISITS AND PREVENTION OF ILLEGAL MINING

8. That a meeting of the District Level Task Force was convened under the chairmanship of the undersigned on 14.05.2024, wherein the following instructions were issued:

- That two (02) joint inspections shall be carried out every month by the Task Force to monitor illegal mining and unauthorized transportation.
- That a dedicated WhatsApp group shall be created to ensure swift coordination and immediate response to any illegal activity.
- That four (04) mining lease areas in District Ghaziabad were identified, and it was directed that no illegal mining shall be permitted in these lease sites when operational.

NOTARY P. K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No. 3062 GOVT. OF INDIA

The minutes of the meeting dated 14.05.2024 and the instructions issued therein are annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–3.

IV. PERMISSION TO LEASEHOLDER POST THE HON'BLE TRIBUNAL'S DIRECTIONS

9. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 30.04.2025, the leaseholder of Pachayera Khand–02 was allowed to resume mining operations through Office Order No. 451/Min. Deptt.-Ghaz./2025-26 dated 14.05.2025, issued by the deponent.

A copy of the said office order is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–4.

V. JOINT INSPECTION AND FINDINGS DATED 31.05.2025

10. That a joint inspection of **Pachayera Khand–02** was conducted by **Sub-Divisional Magistrate, Loni** and **Mining Officer, Ghaziabad** on **31.05.2025**, and the following observations were recorded:

   i. Boundary pillars were found intact, and arrangements for water sprinkling and waste disposal were made as per Environmental Clearance (EC) conditions.

   ii. Four (04) CCTV cameras and a weighbridge were found installed and functional. No illegal mining was observed during the inspection.

   iii. The leaseholder informed that weekly compliance reports along with CCTV footage were submitted to **UPPCB** on **24.05.2025** in compliance with the Hon'ble Tribunal's order.

   iv. However, documents regarding transportation through GPS-fitted vehicles were not provided by the leaseholder.

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No. 3062 GOVT. OF INDIA

v. The leaseholder was warned not to conduct mining in the main stream of the river and not to transport any mineral without a valid e-MM11 pass.

A copy of the joint inspection report is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–5.

VI. VIOLATIONS OBSERVED DURING SURPRISE INSPECTION DATED 09.06.2025

11. That a surprise inspection of the lease area was conducted by the Mines Officer, Ghaziabad on 09.06.2025, during which the following violations were noted:

i. Pillar D was not found at the site. Evidence of illegal mining was observed at coordinates 28.7930090 N and 77.2042610 E, along with a path connecting the lease area to the illegal site, indicating mining beyond the approved boundary.

ii. Three (03) small dumps of ordinary sand were found at the site, measuring approximately 364 m^3 in volume.

A copy of the inspection report is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–6.

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No. 3062 GOVT. OF INDIA

12. That a Show Cause Notice dated 16.06.2025 was issued to the leaseholder M/s New Panther Security Guard Services highlighting the above violations and calling for submission of past one-month CCTV footage.

The said show cause notice is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–7.

13. That a penalty of **Rs. 6,41,960/-** was subsequently imposed for illegal mining and **Rs. 25,000/-** for non-maintenance of boundary pillars. That a notice dated 28.06.2025 was issued by the Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad for recovery of the same.

A copy of the penalty notice is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–8.

14. That a letter dated 18.07.2025 was written by the Mining Officer, Ghaziabad to the Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad recommending imposition of Environmental Compensation for the illegal mining of 364 m^3 outside the leasehold area.

A copy of the said letter is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–9.

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No.-3062 GOVT. OF INDIA

VII. <u>MONSOON BAN ON MINING ACTIVITIES</u>

15.That in compliance with environmental guidelines and monsoon safety norms, a letter dated 02.07.2025 was written by the Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad to all members of the District Level Task Force declaring closure of river bed mining activities in the district from 01.07.2025 to 30.09.2025.

A copy of the said letter is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–10.

VIII. FOLLOW-UP INSPECTION DATED 09.07.2025

16.That a follow-up joint inspection was conducted on 09.07.2025 by the Mining Officer, Ghaziabad and a team from the Directorate of Geology & Mining, Lucknow, and it was observed that no mining activity was being carried out in the lease area and no machines were found on site.

Copy of the joint inspection report is annexed with ANNEXURE A-1 as Annexure–11.

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No.-3062 GOVT. OF INDIA

17.That the present affidavit is filed in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, and the District Administration is committed to ensuring that no illegal mining or mining in violation of environmental norms is permitted in the district.

18. It is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly take the present compliance on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 22 day of July, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 18 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
P.K. SHARMA
GHAZIABAD
Reg. No. 3062
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
No. 5 Dated 22-7-25
Certified that Documents Affidavite Shri. Deepak Meena
Identified By Shri.......

P.K. SHARMA
Advocate
Notary Ghaziabad
(GOVT. OF INDIA)
22-7-25

Original Application No. 1003/ 2024, order dated 30.04.2025

Directions given by NGT:

"21. However, the District Magistrate, Ghaziabad is directed to ensure compliance with SSMG, 2016 and EMGSM, 2020 in the District particularly regarding uploading of the information about mining in the District on the website of the District Administration and also taking of measures for prevention of illegal mining including surprise visits by the District Level Tasks Force and ensure that no illegal mining or mining in violation of environmental norms is carried out in the mining lease sites and also adjoining area."

A. Compliance of uploading information about mining in the district on the website of District Administration.
   a. A letter No. 489/Min. Dept-Ghaz. / 2025-26 dated 29/05/2025 was sent by Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad to District Informatics Officer to upload information about mining leases approved and operated in district Ghaziabad and the same has been uploaded on district website. Furthermore, A copy of District Survey Report- 2024 has already been uploaded on the website for a period of 5 years. **(Annexure 1 & 2)**
B. Compliance of taking measures including surprise visits by District Level Task Force for prevention of illegal mining or mining in violation of environmental norms in mining lease site and adjoining areas.
   a. A meeting of District Level Task Force under the chairmanship of Deponent was conducted on 14.05.2024 and following instructions were issued:
      i. That 02 joint inspections by Task Force are carried out in a month to check illegal mining and transportation. Also, a WhatsApp group need to be created for effective coordination and immediate action.
      ii. That 04 mining lease areas are identified in District Ghaziabad and no it must be ensured that no illegal mining takes place in these sites when operational. **(Annexure- 3)**
   b. That in compliance of Hon'ble NGT order dated 30.04.2025 in OA 1003/2024 Ashok Kumar & ors. Leaseholder of Pachayera Khand-02 was allowed to carry further mining through an office order No. 451/Min. Deptt.-Ghaz/ 2025-26 dated 14.05.2025 issued by the Deponent. **(Annexure- 4)**
   c. That a joint inspection of Pachayera Khand-02 was conducted by SDM Loni and Mines Officer, Ghaziabad on 31.05.2025 and following observations were made: -

i. All boundary pillars were intact in the lease area, proper arrangement for water sprinkling to mitigate dust and dustbins to dispose waste were made as per EC condition.

ii. 04 CCTV Camera and Weighbridge was installed and found to be functional and no signs of illegal mining was observed in the said area.

iii. During inspection, leaseholder informed that in compliance with Hon'ble NGT order dated 30.04.2025 in OA no 1003/2024, weekly compliance report and CCTV footage has been provided to UPPCB on 24.05.2025. A letter is to be sent to the leaseholder to provide a copy of the same to Mining Office as well.

iv. During inspection, no documents related to transportation using GPS fitted vehicles, as directed by Hon'ble NGT, was provided by the leaseholder.

v. The leaseholder was strictly directed not to perform mining in main stream of the river not to transport mineral without e-MM11 pass. **(Annexure- 5)**

d. That a sudden inspection of the said lease area was carried out on 09.06.2025 by Mines Officer, Ghaziabad and following violations were observed: -

i. Pillar D was not found installed and evidence of illegal mining was observed at coordinates 28.793009^0 N and 77.204261^0 E, where attempt was made to level the same. A path was also found that was used to reach the above-mentioned coordinates from lease area highlighting the fact that leaseholder mined illegally outside the demarcated zone.

ii. 03 small dumps of ordinary sand were also observed at the said side measuring 364 m^3 in volume. **(Annexure- 6)**

iii. A show cause notice No. 530/Min. Clerk-Illegal Mining/ 2025-26 dated 16.06.2025 was sent to the leaseholder New Panther Security Guard Services highlighting above violations and also seeking CCTV recording for past 1 month **(Annexure- 7)**

iv. Penalty of 6,41,960/- for illegal mining and 25000/- for not maintaining boundary pillars was imposed on leaseholder and a notice No 562/ Mines clerk- illegal mining/ 2025-26 dated 28.06.2025 was issued by Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad to realise the same. **(Annexure- 8)**

v. A letter No. 609/ Min. Dept.-Ghaz. / 2025-26 dated 18.07.2025 was sent by Mines Officer, Ghaziabad to Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad regarding

imposition of Environmental compensation on the leaseholder for illegal mining of 364 m^3 outside leasehold area. **(Annexure- 9)**

e. That a letter No. 581/Min. Deptt.-Ghaz. / 2025-26 dated 02.07.2025 was issued by Additional District Magistrate (F/R), Ghaziabad to all the members of District Level Task Force highlighting closure of River Bed Mining activities during monsoon period starting from 01.07.2025 till 30.09.2025 and that no mining activity shall take place during that period in the said leasehold area. **(Annexure- 10)**

f. That a joint inspection by Mines Officer, Ghaziabad and a team from Directorate of Geology & Mining, Lucknow was carried out on 09.07.2025 and found that no mining activities were being carried out in the said area and no machines were found at the site as well. **(Annexure- 11)**

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद
(खनिज अनुभाग)

1302

Annexure -1

पत्रांकः 489 / ख0अनु0–गाजि0 / 2025–26

दिनांकः 29 / 05 / 2025

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
जनपद – गाजियाबाद।

विषयः– **जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में स्वीकृत एवं संचालित बालू खनन अनुज्ञा पत्र / बालू खनन पट्टे का विवरण जनपदीय वेबसाईट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 1003 / 2024 श्री अशोक कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दू सं0 21 पर निम्नवत् आदेश दिये गये है :–

"21. However, the District Magistrate, Ghaziabad is directed to ensure compliance with SSMG, 2016 and EMGSM, 2020 in the District particularly regarding uploading of the information about mining in the District on the website of the District Administration and also taking of measures for prevention of illegal mining including surprise visits by the District Level Tasks Force and ensure that no illegal mining or mining in violation of environmental norms is carried out in the mining lease sites and also adjoining area."

अतः मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में स्वीकृत एवं संचालित बालू खनन अनुज्ञा पत्र / बालू खनन पट्टों को विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त विवरण को जनपदीय वेबसाईट Ghaziabad.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

29/5/25

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/5/25

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में स्वीकृत एवं संचालित बालू खनन अनुज्ञा पत्र/बालू खनन पट्टा का विवरण :–

क्रम सं0	पट्टेधारक का नाम	बालू खनन क्षेत्र	अवधि	वर्तमान स्थिति
1	श्री शुभम जागलान	ग्राम पचायरा खण्ड–1	05 वर्ष	लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया गया है, वर्तमान में पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
2	मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह	ग्राम पचायरा खण्ड–2	05 वर्ष दिनांक 12.11.2021 से दिनांक 11.11.2026 तक	वर्तमान में संचालित हैं।
3	मै0 निर्मल सेण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह	ग्राम नौरसपुर	06 माह दिनांक 05.05.2025 से दिनांक 04.02.2026 तक	वर्तमान में संचालित है।
4	मै0 श्री श्यामजी कन्सट्रक्शन प्रो0 श्री सुरेश कुमार	ग्राम बदरपुर	06 माह	लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया गया है, वर्तमान में पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

29/1/25

ए0डी0एम0 (वि0/रा0)
गाजियाबाद

Annexure -2

ghaziabad.nic.in/en/notice_category/announcements/

E -Lottery result of Excise department 2025-2026	E -Lottery result of Excise department 2025-2026	06/03/2025	31/12/2025	View (465 KB) County Liquor (6 MB) Model Shop (679 KB) Composite Shop (5 MB) Bhang Shop (245 KB)
District Survey Report-2024	District Survey Report-2024 Ghaziabad Mining lease details- Ghaziabad	01/01/2025	31/01/2030	View (7 MB) Mining lease details-Ghaziabad (298 KB)
Services using Sewa Mitra Portal/App	Regarding Government Order and Sewa Mitra Portal/App	25/05/2022	31/12/2025	View (373 KB) GO_Sewayojan_13122021 (566 KB)

1 2 Next »

Archive

Website Policies Help Contact Us Feedback

Content Owned by District Administration

© District Ghaziabad, Uttar Pradesh , Developed And Hosted By National Informatics Centre, Ministry Of Electronics & Information Technology, Government Of India

Last Updated: **Jul 21, 2025**

जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की बैठक दिनांक 14.05.2025 का कार्यवृत :—

अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर रोकथाम के लिये जनपद गाजियाबाद हेतु गठित जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्क फोर्स) की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2025 को आहूत की गयी, जिसमें जनपद गाजियबाद में अवैध खनन, अवैध परिवहन व अवैध भण्डारणों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बंध में विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुये :—

क0सं0	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री सौरभ भट्ट	अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)	राजस्व
2	डा0 सलोनी	सहायक वन संरक्षक	वन विभाग
3	श्री अरूण दीक्षित	उपजिलाधिकारी, सदर	राजस्व (वी0सी0 के माध्यम से)
4	श्री राजेन्द्र शुक्ला	उपजिलाधिकारी, लोनी	राजस्व (वी0सी0 के माध्यम से)
5	श्री निखिल चक्रवर्ती	उपजिलाधिकारी, मोदीनगर	राजस्व (वी0सी0 के माध्यम से)
6	श्री सिद्धार्थ गौतम	सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी	पुलिस विभाग (वी0सी0 के माध्यम से)
7	श्री मनोज मिश्रा	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	परिवहन विभाग
8	श्री सौरभ चतुर्वेदी	खान अधिकारी	खनन

उपरोक्त आहूत बैठक के एजेन्डा बिन्दु निम्नवत् रहे :—

1. जनपद गाजियाबाद में अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के एन्ट्री पोइंट को चिन्हांकित किया जाना तथा बिना अभिवहन प्रपत्र/आई0एस0टी0पी0 के उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।
2. टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक 15 दिन में अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिग पर कार्यवाही किये जाने हेतु वाहनों की संयुक्त जांच किया जाना।
3. जनपद में प्राप्त अवैध खनन की शिकायतों का पूर्ण परीक्षण कर विपक्षी का पक्ष सुनने के उपरान्त प्रकरण की आख्या उपलब्ध कराया जाना।
4. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर खनिज की ओवर लोडिंग किसी भी दशा में न होने पाये एवं ओवर लोडिंग को सोर्स पोइंट पर ही रोका जाये।
5. खनन माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही कर अवैध खनन पर रोकथाम किया जाना।
6. विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर अपने यूजर आई0डी0 द्वारा लॉगिन कर अपने–अपने तहसील सम्बंधित प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत नियमानुसार जांच कर आख्या अपलोड किया जाना।
7. वाहनों द्वारा वाहन की बाडी को बढ़ाकर उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही किया जाना।
8. ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में हो रहे उपखनिज के भण्डारणों को नियमित किये जाने के सम्बंध में।

शासन के पत्र सं0 I/938369/2025—86—01099/126/2025 दिनांक 17.04.2025, जो मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2025 को सम्पन्न समीक्षा बैठक/विडियों कांफ्रेंस में कार्यबल (टास्क फोर्स) के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं ओवर लोडिंग रोकने की कार्यवाही के सम्बंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि :—

- (1) **जनपद गाजियाबाद में संयुक्त रूप से माह में कम से कम 02 बार वाहनों की सघन जांच के सम्बंध में :—** अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी व खान अधिकारी गाजियाबाद आपस में समन्वय बनाते हुये माह में कम से कम 02 बार वाहनों की सघन जांच करे, जिसमें जनपद गाजियाबाद में अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन करने वाले

वाहनों के एन्ट्री पोइंट को चिन्हांकित किया जाये तथा बिना अभिवहन प्रपत्र/आई0एस0टी0पी0 एवं ओवरलोड कर उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त टास्क फोर्स का वाहट्स ऐप ग्रुप भी बनाया जाये, जिस पर वाहनों की जांच के सम्बंध में अपडेट दिया जाये। खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि गत वित्तीय वर्ष 2023–24 व 2024–25 में अवैध खनन/अवैध परिवहन/ओवर लोडिंग पर कार्यवाही करते हुये वित्तीय वर्ष 2023–24 में 182 वाहनों से रू0 73.31 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में 297 वाहनों से रू0 176.14 लाख जुर्माना जमा कराया गया है।

(कार्यवाही– खान अधिकारी, गाजियाबाद व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद)

(2) <u>विभागीय पोर्टल **upminemitra.in** पर प्राप्त आवदेनों के ससमय निस्तारण के सम्बंध में</u>:– खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विकसित विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर साधारण मिट्टी खनन की अनुमति प्राप्त किये जाने के लिये आवेदन किये जाते है, जिसमें खान अधिकारी गाजियाबाद व सम्बंधित तहसीलदार द्वारा आख्या प्रेषित की जाती है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 24/एम0–228/2017 खनन नीति(x) दिनांक 07.04.2025 द्वारा लम्बित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के सम्बंध में निर्देशित किया गया है, ततक्रम में सम्बंधित तहसीलदार को पोर्टल पर लम्बित आवेदनों के निस्तारण के सम्बंध में पत्र प्रेषित कर दिशा निर्देश भी दिये गये है, परन्तु तद्दिनांक तक भी लम्बित आवेदनों का निस्तारण नहीं किया गया है। इस सम्बंध में निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारी अपने स्तर से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को लम्बित आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें, साथ ही आने वाले ऋतुकाल को दृष्टिगत रखते हुये उपखनिज के भण्डारण से सम्बंधित प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर/सदर/लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(3) <u>बिना विनियमन शुल्क जमा कराये अथवा अवैध रूप से संचालित ईट भट्ठों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में</u> :– खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही ईट–भट्ठे का संचालन किया जायेगा। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, खान अधिकारी, गाजियाबाद के साथ समन्वय स्थापित कर अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित ईट–भट्ठों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि जनपद में कोई भी ईट–भट्टा का संचालन बिना विनियमन शुल्क जमा करें अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना न किया जायें।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर/सदर/लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(4) <u>अवैध बालू/मिट्टी खनन की जांच के सम्बंध में</u> :– उपखनिज के अवैध खनन के प्रकरणों के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 419/ख0अनु0–गाजि0/25–26 दिनांक 25.04.2025 में अवैध खनन से सम्बंधित प्रकरणों में जांच करते हुये पूर्ण परीक्षण कर विपक्षी का पक्ष सुनने के उपरान्त ही प्रकरण के निष्कर्ष के साथ आख्या जिला कार्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके उपरान्त खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा नियमानुसार मा0 सक्षम न्यायालय में अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया जायेगा, जिससे अवैध खनन सम्बंधी प्रकरणों का निस्तारण समयान्तर्गत व गुणवत्तापूर्वक किया जा सकें।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर/सदर/लोनी व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

(5) <u>जनपद गाजियाबाद में स्वीकृत बालू खनन पट्टों के सम्बंध में</u> :– खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी अन्तर्गत 04 बालू खनन क्षेत्र उपलब्ध है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :–

क्रम सं0	बालू खनन क्षेत्र	अवधि	खनन योग्य मात्रा (वार्षिक) घ0मी0 में	वर्तमान स्थिति
1	ग्राम पचायरा खण्ड–1	05 वर्ष	323600	लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया गया है, वर्तमान में पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
2	ग्राम पचायरा खण्ड–2	05 वर्ष	177737	वर्तमान में संचालित हैं।
3	ग्राम नौरसपुर	06 माह	22622 (छमाही)	वर्तमान में संचालित है।
4	ग्राम बदरपुर	06 माह	72844 (छमाही)	लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया गया है, वर्तमान में पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्त बालू खनन पट्टों के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 1003/2024 श्री अशोक कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त संचालित बालू खनन पट्टो पर किसी प्रकार का अवैध खनन न होने पाये तथा बालू खनन पट्टो के संचालन सुसंगत नियमों के अधीन ही किया जाये।

(कार्यवाही– अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), उपजिलाधिकारी, लोनी , खान अधिकारी, गाजियाबाद व सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी)

(5) <u>ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में हो रहे उपखनिज के भण्डारणों को नियमित किये जाने के सम्बंध में</u> :– इस सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी में हो रहे उपखनिज के भण्डारण, जिसका संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी लिया गया है, की सघन जांच कर उक्त भण्डारणों को नियमित कराये जाने का प्रयास किया जाय, जिससे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवमानना न हो, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों का अवैध भण्डारण न हो।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, सदर व खान अधिकारी, गाजियाबाद)

बैठक सह धन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by DEEPAK MEENA
Date: 25-05-2025 14:33:30

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

<u>कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद</u>

पत्र सं0:– /गाजियाबाद टास्क फोर्स/25–26 दिनांक: 2025

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Annexure -4

कार्यालय आदेश

मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 1003/2024 श्री अशोक कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"19. In view of the facts and circumstances of the case and compliance made and also undertaking given by Respondents No. 5 and 6 but subject to adjudication of the questions of illegal mining and appropriate action in respect thereof, we are inclined to allow Respondents No. 5 and 6 to carry out further mining in the mining lease site with due compliance with the recommendations made by the Joint Committee as well as the recommendations made by UPPCB and also due compliance with EC and CTO conditions and environmental norms particularly Sustainable Sand Mining Management Guidelines (SSMG), 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM), 2020 and also subject to further conditions that Respondents no. 5 and 6 shall use only GPS fitted vehicles for transportation of mined material and also submit weekly monitoring reports and copy of CCTV footage in pen drive to UPPCB and also file copies thereof before this Tribunal at least one day before the next date of hearing fixed."

अतः मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम पचायरा खण्ड–2 तहसील लोनी में खनन संक्रियाओं पर लगाई गयी रोक को हटाते हुये पट्टाधारक मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह की Lease Id को Unblock किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:– 451/ख0अनु0–गाजि0/2025–26 दिनांकः 14/05/ 2025

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्वं एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपरजिलाधिकारी, (वि0/रा0), गाजियाबाद।
3. पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण)।
4. सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी।
5. उपजिलाधिकारी लोनी

6. खान अधिकारी, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पट्टाधारक की Lease Id को Unblock किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. पट्टाधारक मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 में दिये गये निर्देशों अनुपालन करते हुये नियमानुसार खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

14/5/2025

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Annexure -5

संयुक्त जांच आख्या

जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में साधारण बालू के 05 वर्षीय बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2, गाटा सं0 303मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 रकबा 8.512 है0 का खान अधिकारी गाजियाबाद व उपजिलाधिकारी, लोनी द्वारा दिनांक 31.05.2025 को निरीक्षण किया गया। बिन्दुवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. निरीक्षण के दौरान स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र एवं खनन अनुज्ञा क्षेत्र में सभी पिलर यथा स्थान लगे हुए पाये गये।
2. उक्त क्षेत्र में स्वीकृत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो के अन्तर्गत जांच के दौरान पौधे लगे पाये गये तथा अपशिष्टों के निस्तारण के लिये कुड़ेदान भी रखे गये है, साथ ही खनन स्थल पर जल छिड़काव करने की व्यवस्था भी की गयी है।
3. जांच के दौरान उक्त क्षेत्र में नियमानुसार 04 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे पाये गये, जो मौके पर संचालित है तथा वे–ब्रिज भी कार्यरत पाया गया।
4. निरीक्षण के दौरान खनन कार्य रूका हुआ पाया गया।
5. पट्टाधारक द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तानुसार खनन स्थल पर साधारण बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करते हुये बोर्ड लगाया गया है।
6. निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार के अवैध खनन के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुए।
7. जांच के दौरान मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0 1003/2024 श्री अशोक कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 में दिये गये निर्देशों के कम में पट्टाधारक द्वारा अवगत कराया गया कि साप्ताहिक अनुपालन आख्या व साप्ताहिक सी0सी0टी0वी0 फुटेज कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को दिनांक 24.05.2025 को उपलब्ध करा दिये गये है। **(छायाप्रति संलग्न)** उक्त सी0सी0टी0वी रिकार्डिंग खनन कार्यालय को भी उपलब्ध कराने के लिये नोटिस प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।
8. जांच के दौरान मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 में दिये गये निर्देशों के कम में जी0पी0एस0 लगे वाहनों द्वारा परिवहन के विषय में पट्टाधारक द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
9. **निरीक्षण के दौरान मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है।**

निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक को वे–ब्रिज द्वारा निर्गत नोटिसों में निहित धनराशि को तत्काल जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही पट्टाधारक को सख्त निर्देश दिये गये कि किसी भी दशा में नदी की जलधारा में खनन कार्य न किया जाये तथा नियमानुसार सीमांकित क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य किया जाये एवं ओवरलोडिंग एवं बिना ई–एम0एम0–11 के उपखनिज का परिवहन न किया जाये।

अतः उपरोक्त जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

02/06/25

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

02-06-25

उपजिलाधिकारी
लोनी।

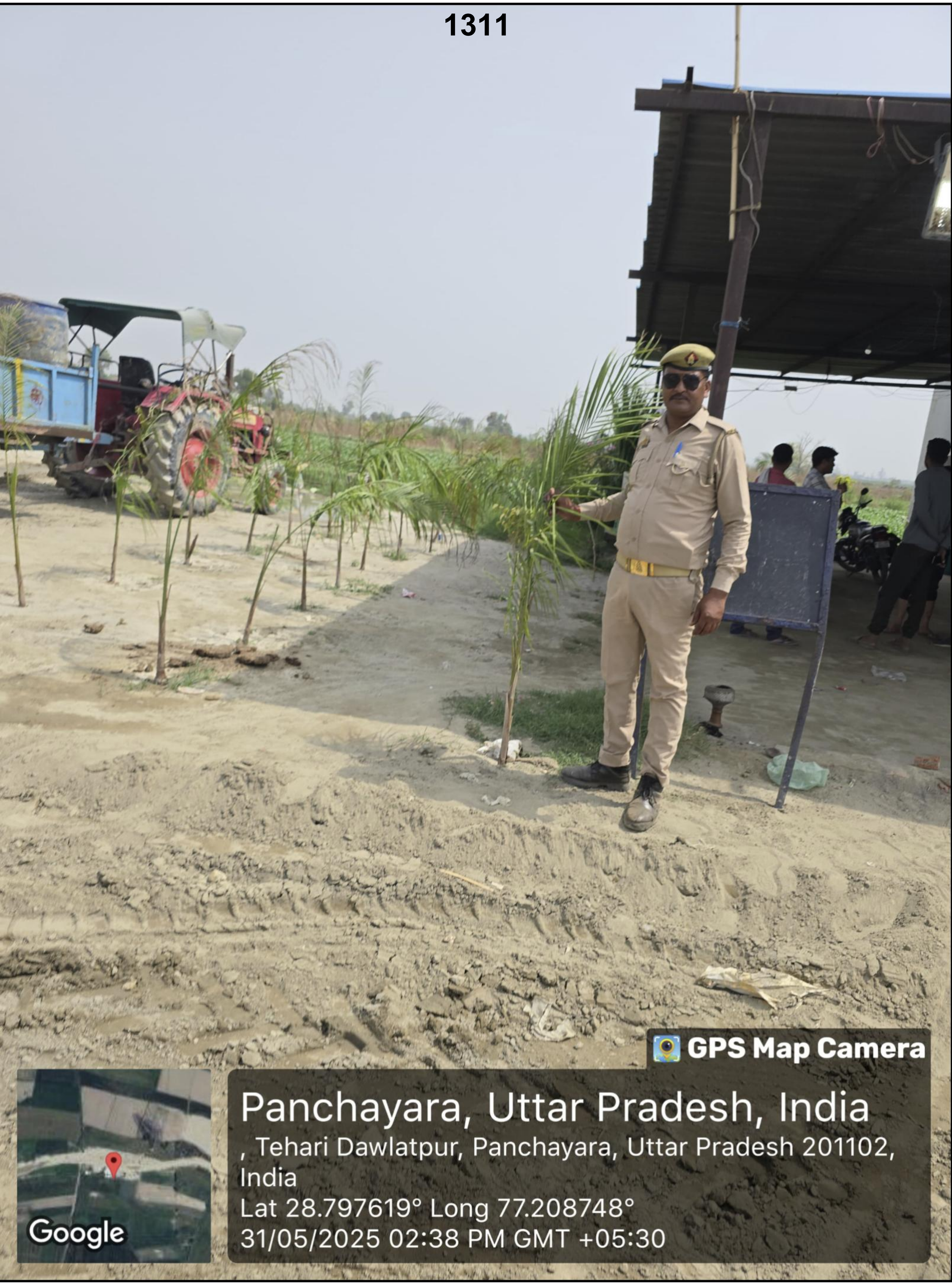
GPS Map Camera
Panchayara, Uttar Pradesh, India
, Tehari Dawlatpur, Panchayara, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.797619° Long 77.208748°
31/05/2025 02:38 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Panchayara, Uttar Pradesh, India
, Tehari Dawlatpur, Panchayara, Uttar Pradesh
201102, India
Lat 28.79767° Long 77.208721°
31/05/2025 02:38 PM GMT +05:30
Google
JCB

GPS Map Camera
Panchayara, Uttar Pradesh, India
, Tehari Dawlatpur, Panchayara, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.797583° Long 77.208644°
31/05/2025 02:41 PM GMT +05:30
Google

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश AAQGG 305480

DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश AAQGG 305479

DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

द्वितीय प्रति (परिवहनकर्ता/उपभोक्ता/धारण/कार्यदायी संस्था हेतु)

3. Name Of Lessee / Permit Holder: BANI SINGH NEW PENTHER SECURITY GUARD SERVICES

6. Tehsil Of Lease: LONI

9. Name Of Mineral: ORDINARY SAND (CATEGORY-I)

12. Distance(Approx in K.M.): 150 K.M.

15. Traveling Duration: 9 Hr (Approx)

18. Pits Mouth Value(Rs/m3 &Rs/Ton for Silica sand): 233

1. eMM11: 31162409035204544

4. Mobile Number Of Lessee: 8851201232

7. District Of Lease: GHAZIABAD

10. Loading From: GHAZIABAD

13. eMM11 Generated On: 31-05-2025 01:20:57 PM

16. Destination District: GURUGRAM

2. Lessee Id: 311624090352

5. Lease Details [Address, Village, (Gata/Khand), Area]: SALASAR COMPLEX, ALIGARH, , PACHAYRA KHAND 2 , (290mi 314m) , 21.033 acre

8. QTY Transported in (Cubic Meter/ Ton for Silica sand/ Diaspore/ Pyrophylite): 11.00

11. Destination (Delivery Address): GURUGRAM

14. eMM11 Valid Upto: 31-05-2025 10:25:57 PM

17. Destination State: HARYANA

19. Serial Number: AAQGG305479

Details Of Registered Vehicle

1. Registration Number: HR69F9696

4. Mobile Number Of Driver: 8851201232

2. Type Of Vehicle: 10 TYRE TRUCK

5. DL Number Of Driver: 201102

3. Name Of Driver: KULDEE[P]

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश AAQGG 305479

DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

तृतीय प्रति (जांचकर्ता हेतु)

3. Name Of Lessee / Permit Holder: BANI SINGH NEW PENTHER SECURITY GUARD SERVICES

6. Tehsil Of Lease: LONI

9. Name Of Mineral: ORDINARY SAND (CATEGORY-I)

12. Distance(Approx in K.M.): 150 K.M.

15. Traveling Duration: 9 Hr (Approx)

18. Pits Mouth Value(Rs/m3 &Rs/Ton for Silica sand): 233

1. eMM11: 31162409035204544

4. Mobile Number Of Lessee: 8851201232

7. District Of Lease: GHAZIABAD

10. Loading From: GHAZIABAD

13. eMM11 Generated On: 31-05-2025 01:20:57 PM

16. Destination District: GURUGRAM

2. Lessee Id: 311624090352

5. Lease Details [Address, Village, (Gata/Khand), Area]: SALASAR COMPLEX, ALIGARH, , PACHAYRA KHAND 2 , (290mi 314m) , 21.033 acre

8. QTY Transported in (Cubic Meter/ Ton for Silica sand/ Diaspore/ Pyrophylite): 11.00

11. Destination (Delivery Address): GURUGRAM

14. eMM11 Valid Upto: 31-05-2025 10:25:57 PM

17. Destination State: HARYANA

19. Serial Number: AAQGG305479

Details Of Registered Vehicle

1. Registration Number: HR69F9696

4. Mobile Number Of Driver: 8851201232

2. Type Of Vehicle: 10 TYRE TRUCK

5. DL Number Of Driver: 201102

3. Name Of Driver: KULDEEP

GPS Map Camera

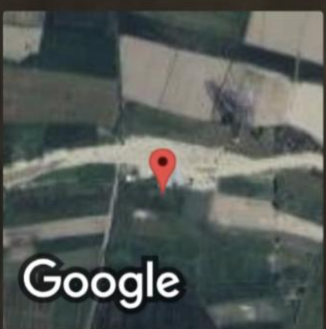

Panchayara, Uttar Pradesh, India

, Tehari Dawlatpur, Panchayara, Uttar Pradesh 201102, India

Lat 28.797585° Long 77.208642°

31/05/2025 02:42 PM GMT +05:30

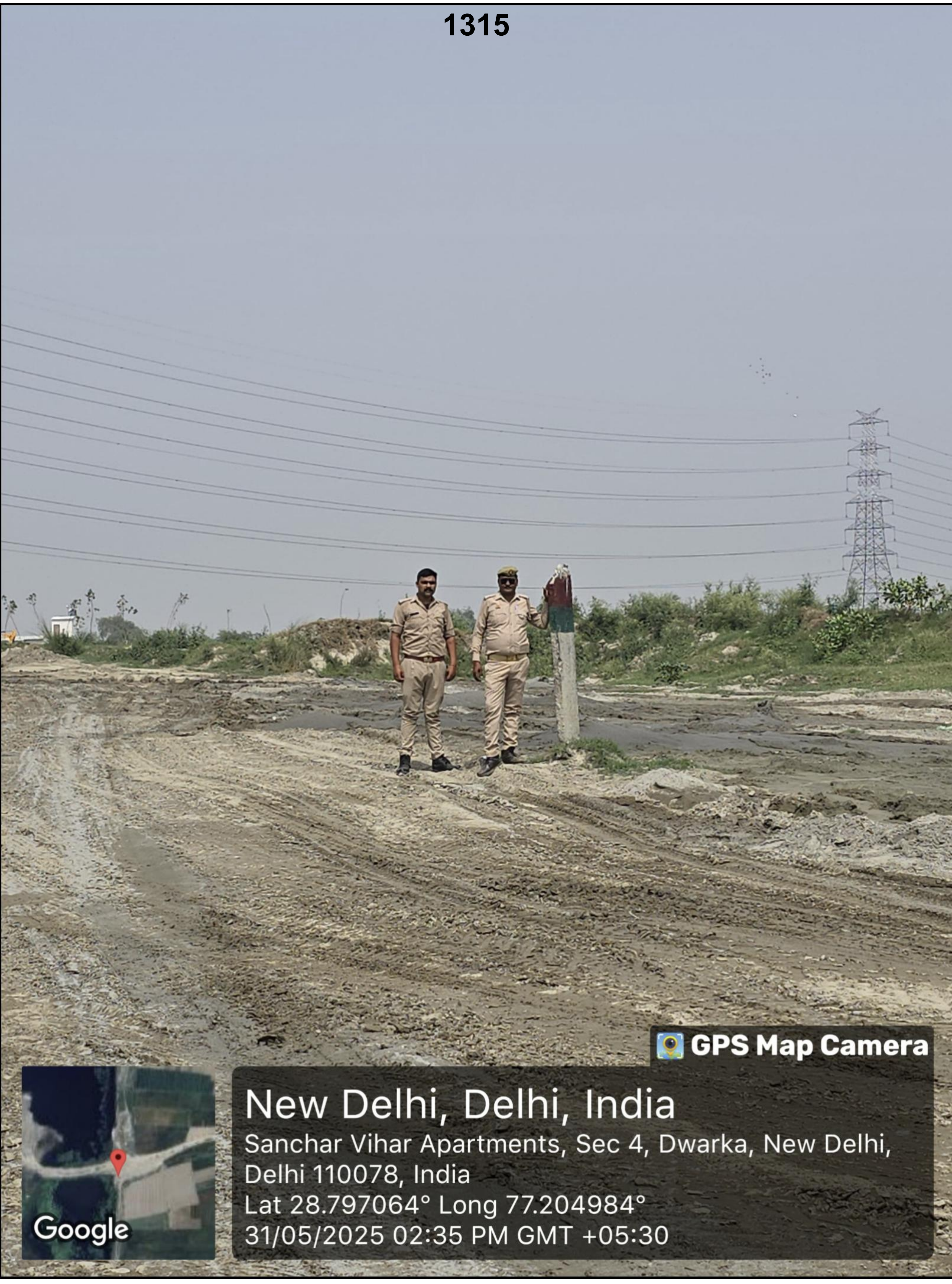
GPS Map Camera
New Delhi, Delhi, India
Sanchar Vihar Apartments, Sec 4, Dwarka, New Delhi, Delhi 110078, India
Lat 28.797064° Long 77.204984°
31/05/2025 02:35 PM GMT +05:30
Google

Annexure -6

1316

जांच आख्या

साधारण बालू के 05 वर्षीय बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2, गाटा सं0 303मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 रकबा 8.512 है0 का खान अधिकारी गाजियाबाद द्वारा दिनांक 09.06.2025 को औचक निरीक्षण किया गया। बिन्दुवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. जांच के दौरान सीमांकित क्षेत्र पिलर सं0 डी मौके पर लगा नहीं पाया गया।

2. निरीक्षण के दौरान देखा गया कि बालू खनन क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम दिशा में पिलर सं0 डी से बाहर की ओर **जिओ कोर्डिनेट 28.793009^{0} N व 77.204261^{0} E** पर अवैध खनन किये जाने के चिन्ह परिलक्षित हुये, जिसे मौके पर समतल करने का प्रयास किया गया है। उक्त स्थल तक खनन क्षेत्र से एक मार्ग भी बना पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि पट्टाधारक द्वारा सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किया गया है।

3. उक्त क्षेत्र के समीप मौके पर साधारण बालू के 03 छोटे–छोटे ढेर भी पाये गये, जिसकी पैमाईश निम्नवत् है :–

   1. 8M x 5M x 2.5 M = 100 घन मीटर
   2. 10M x 5M x 4 M = 200 घन मीटर
   3. 8M x 4M x 2.0 M = 64 घन मीटर

   कुल मात्रा– 364 घ0मी0

4. सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर किये गये अवैध खनन कर लगाये गये 364 घ0मी0 साधारण बालू के ढेर के सम्बंध में पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

5. निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।

अतः उपरोक्त जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

10/06/25

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

GPS Map Camera
Google
New Delhi, Delhi, India
Sanchar Vihar Apartments, Sec 4, Dwarka, New Delhi, Delhi 110078, India
Lat 28.793009° Long 77.204261°
09/06/2025 08:41 PM GMT +05:30

Annexure -7

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

कारण बताओ नोटिस

संख्या: 530/ख0लि0—अवैध खनन/2025—26 दिनांक: 16/06/2025

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड—2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी— सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषयः— सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर 364 घ0मी0 साधारण बालू का अवैध खनन किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को आपके पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टे पचायरा खण्ड—2 का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सीमांकित क्षेत्र का पिलर सं0 D मौके पर लगा नहीं पाया गया तथा बालू खनन पट्टे के दक्षिण पश्चिम दिशा में पिलर सं0 D के बाहर जाकर जिओ कोर्डिनेट 28.793009^0 N व 77.204261^0 E पर अवैध खनन किये जाने के चिन्ह परिलक्षित हुये, जिसे समतल करने का प्रयास किया गया था। उक्त क्षेत्र में लगभग कुल मात्रा 364 घ0मी0 साधारण बालू के 03 ढेर पाये गये, साथ ही उक्त क्षेत्र तक पहुँचने के लिये 01 अस्थायी निर्मित मार्ग भी पाया गया।

आपके पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टे में पिलर सं0 D का मौके पर लगा न पाया जाना उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 36(1) का उल्लंघन एवं नियम 60(3) के अन्तर्गत दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त अपने सीमाकिंत क्षेत्र से बाहर जाकर आपके द्वारा किये गये 364 घ0मी0 साधारण बालू का अवैध खनन उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 4 का उल्लंघन है एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 58 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कृत्य में आपके विरूद्ध क्यों न वैधानिक कार्यवाही की जाये, के सम्बंध में अपना स्पष्टकीकरण 03 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि में यदि आपका कोई प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जायेगा कि आपको अपना अपराध स्वीकार है तथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्तुत की जायेगी, साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि 03 कार्य दिवस के अन्दर आपके बालू खनन पट्टा क्षेत्र में लगे सी0सी0टी0वी0 की 01 माह की रिकार्डिंग अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम—60(3) के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

16/06/25
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :—
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/06/25
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

 Annexure -8

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

नोटिस

संख्याः 562/ख0लि0–अवैध खनन/2025–26 दिनांकः 28.06.2025

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषयः– सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर 364 घ0मी0 साधारण बालू का अवैध खनन किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक खान अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 10.06.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 09.06.2025 को आपके पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टा पचायरा खण्ड–2 का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सीमांकित क्षेत्र का पिलर सं0 D मौके पर लगा नहीं पाया गया तथा बालू खनन पट्टे के दक्षिण पश्चिम दिशा में पिलर सं0 D के बाहर जाकर 364 घ0मी0 साधारण बालू का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

उपरोक्त के कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपको अन्तिम चेतावनी देते हुये 364 घ0मी0 साधारण बालू पर अर्थदण्ड रू0 6,41,960/– एवं पिलर सं0 D के मौके पर नहीं लगे पाये जाने पर अर्थदण्ड रू0 25,000/– इस निर्देश के साथ अधिरोपित किया गया है कि यदि उक्त कृत्य की पुनरावर्ति की जाती है तो आपके पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टा को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित अर्थदण्ड की धनराशि को तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उक्त धनराशि को भू–राजस्व के रूप में वसूला जायेगा, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

28/6/25

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

पत्र संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/6/25

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:– 609 / ख0अनु0–गाजि0 / 25–26 दिनांकः 18.07.2025

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

विषयः– **बालू खनन पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2 मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के नोटिस पत्र सं0 562 / ख0लि0–अवैध खनन / 2025–26 दिनांक 28.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालू खनन पट्टाधारक द्वारा सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर 364 घ0मी0 साधारण बालू का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। उक्त अवैध खनन के सम्बंध में इस कार्यालय स्तर से अर्थदण्ड स्वरूप रायल्टी व खनिज मूल्य रू0 1,41,960 / – एवं शमन शुल्क रू0 5,00,000 / – अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत नोटिस दिनांक 28.06.2025 की छायाप्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि बालू खनन पट्टाधारक मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन किये जाने के सम्बंध में नियमानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

18/07/25

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

1321 Annexure -10

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:– 581 / ख0अनु0–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 02/07/ 2025

1– **उपजिलाधिकारी, लोनी।**
2– **सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी।**

विषयः– मानसून अवधि (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) में खनन कार्य पूर्णतः बंद किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार मानसून सत्र (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) प्रदेश के नदी तल में उपलब्ध उपखनिज बालू/मौरम का खनन व निकासी कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड–2 में साधारण बालू के पांच वर्षीय स्वीकृत खनन पट्टा व ग्राम नौरसपुर में साधारण बालू के खनन अनुज्ञा क्षेत्र पर मानसून सत्र (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) में सतर्क दृष्टि बनाये रखे ताकि कोई बालू का खनन व निकासी कार्य न होने पाये तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

2/7/25

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

पत्र संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उप पुलिस आयुक्त (ग्रामीण), गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी पट्टाधारक बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2 तहसील लोनी को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. मै0 निर्मल सेण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी–204/1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053।
6. टास्क फोर्स (खनन) के सभी सदस्यों को अनुपालनार्थ।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

Annexure -11

जांच आख्या

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0), गाजियाबाद महोदय के कार्यालय पत्र सं0 581 / ख0अनु0–गाजि0 / 2025–26 दिनांक 02.07.2025, जिसके द्वारा मानसून सत्र में बालू खनन क्षेत्र में खनन संक्रियायें पूर्णतः बंद किये जाने के निर्देश दिये गये है, के कम में जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी में साधारण बालू के 05 वर्षीय बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2, गाटा सं0 303मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 रकबा 8.512 है0 का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशालय की जांच टीम के साथ दिनांक 09.07.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

निरीक्षण के दौरान बालू खनन पट्टा क्षेत्र में मानसून सत्र (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) होने के कारण खनन संक्रियायें पूर्णतः बंद पायी गयी। मौके पर किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं पायी गयी।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में प्रस्तुत है।

10/07/25

खान अधिकारी
गाजियाबाद।